न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील सं0 08/2022 रसद
उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत गुढा कटला तहसील बसवा जिला दौसा

....प्रार्थी/अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

....अप्रार्थी/प्रत्यार्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय अभियोग सं0 2019/1567 दिनांक 12.4.2019 के तहत

उपस्थित–1. श्री डी0पी0 सैनी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 08.05.2024

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.04.2019 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत गुढा कटला तहसील बसवा जिला दौसा के 1/2 भाग का अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 465/2000 हैं प्रार्थी ने बिना किसी शिकायत के वर्ष 2000 से ही इमानदारी से ग्राम पंचायत गुढाकटला के उपभोक्ताओं को निष्ठापूर्वक रसद सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। अपीलांट के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि दिनांक 21.10.2016 को आदतन शिकायतकर्ता रामस्वरूप आर्य द्वारा उपखंड अधिकारी बांदीकुई को अपीलांट की झूंठी शिकायत की गई जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.11.2016 द्वारा प्रवर्तन अधिकारी बांदीकुई को अपीलार्थी की जांच प्रस्तुत [illegible] या जिसकी पालना में प्रवर्तन अधिकारी बांदीकुई द्वारा दिनांक 21.11.2016 [illegible] की गई जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने अप[illegible] के द्वारा अपीलांट का प्राधिकार को अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा [illegible] दिनांक 24.11.2016 को अपीलांट को कारा बताओ नो[illegible] जारी किया गया जि[illegible] उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य सबूत अपीलांट के द्वारा दिनांक 29.12.2016 को प्रस्तुत किया

.....निरन्तर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

गया जिससे संतुष्ट होकर जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 1.3.2017 के द्वारा के द्वारा बहाल कर दिया। जिला परिषद सदस्य के द्वारा भी जिला रसद अधिकारी दौसा को पत्र प्रेषित कर शिकायतकर्ता रामस्वरूप आर्य को आदतन शिकायतकर्ता मानते हुए उक्त शिकायतकर्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देने बाबत निवेदन किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा दिनांक 14.5.2018 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई से जांच रिपोर्ट मांगी गई जिसकी पालना में प्रवर्तन निरीक्षक बादीकुई द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा को जांच/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शिकायतकर्ता रामस्वरूप आर्य जो कि एक आदतन शिकायतकर्ता एवं ब्लैकमेलर है के द्वारा जिला कलक्टर महोदय एवं लोकायुक्त महोदय जयपुर को झूंठी शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर जिला कलक्टर महोदय एवं लोकायुक्त सचिवालय जयपुर से जिला रसद अधिकारी दौसा को पत्र प्रेषित कर उक्त संबंध्ध में पिणी मांगी गई जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा दिनांक 15.5.2018 व 25.7.2018 के द्वारा जिला कलक्टर महोदय दौसा व लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता रामस्वरूप आर्य द्वारा बारम्बार एच्चाधिकारियों को झूंठी शिकायत करने के कारण जिलारसद अधिकारी दौसा द्वारा दबाव में आकर दिनांक 22.10.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई को अपीलांट की विशिष्ट जांच करने बाबत निर्देशित किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई के द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा ने शिकायतकर्ता के दबाव में आकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर आदेश दिनांक 12.4.2019 के द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अपीलांट पर कोई रसद सामग्री की कालाबाजारी अथवा दुरूपयोग का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा दिनांक 25.3.1994 को समस्त जिला रसद अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्देयित किया गया है कि छोटी मोटी तकनीकी अनियमितता के आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध मुकदमें दर्ज नहीं किये जावे। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को अत्यधिक कठोर दंड देते हुए निरस्त किया गया है। अपीलांट का एकमात्र रोजगार की यही दुकान है जिस पर अपीलांट पर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है। अपीलांट के उपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.4.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश प्रदान करावे।

4. जिला रसद अधिकारी द्वारा लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि दिनांक 22.11.2016 को प्रवर्तन अधिकारी महवा के द्वारा ग्राम पंचायत गुढ़ा कटला के उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा की दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested

...निरन्तर 3 पर

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. दुकान पर मूल्य सूची व स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन नहीं था।
2. दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को पोश मशीन से जारी होने वाली पर्ची (रसीद) नहीं दी जाती है।
3. उपभोक्ता किशन स्परूप को खाध सुरक्षा सूची में नाम होने पर भी राशन सामग्री नहीं दी गई जबकि ऑनलाईन इन्द्राज अनुसार गेहूँ दिया जाना बता रखा है।
4. उपभोक्ता कालू राम सैनी के राशन कार्ड में 07 सदस्यों के स्थान पर 05 सदस्यों की ही राशन सामग्री दिया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मुकेश जांगिड के एनएफएसए राशन कार्ड पर माह मई 2016 से माह सिकतम्बर 2016 तक गेहूँ नहीं देना पाया गया।
5. माह अक्टूबर 2016 में वितरण से शेष रहा 21.98 क्विं0 गेहूँ का दिनांक 4.11.2016 तक पोस मशीन व मैन्युअल रजिस्टर में अवशेष स्टॉक का इन्द्राज नहीं किया गया।

विभागीय पैरोकार सरकान ने बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2016 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने आदेश दिनांक 24.11.2016 के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। उक्त अनियमितताओ बाबत जिला रसद अधिकारी दौसा ने उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 24.11.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 29.11.2016 को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। डीलर द्वारा दिनांक 29.11.2016 को रसद कार्यालय में जवाब पेश किया गया। जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 01.03.2017 के द्वारा बहाल कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट के जवाब से असंतुष्ट होने पर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय दिनांक 12.4.2019 को पारित कर संपूर्ण जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गुढाकटला द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 4, 5, 6, 8, 15 सहित खाध सुरक्षा आदेश 2016 का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6.पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता रामस्परूप आर्य के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार नरेन्द्र शर्मा द्वारा राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता की शिकायत उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रेषित की गई। जिस पर प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार की दुकान का दिनांक 20.11.2016 को निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन जिला रसद कार्यालय में दिनांक 24.11.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट नरेन्द्र कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत गुढा कटला

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested

.....निरन्तर 4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

तहसील सिकराय जिला दौसा का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.11.2016 के द्वारा निलंबित किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब नियत दिनांक को जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है।

अपीलांट द्वारा जवाब दिये जाने के बाद दिनांक 9.3.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र 90 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाने के कारण डीलर के विरूद्ध जांच विचाराधीन रखते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के कारण डीलर की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि को जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र दिनांक 12.4.2019 को निरस्त किया गया है।

अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर हमारे समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है:–

6.1 शिकायतकर्ता रामस्वरूप आर्य एक आदतन शिकायती है, जिसके शिकायत पर रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है।

6.2 बिना जांच व सुनवाई का अवसर दिये कार्यवाही की गई है, एवं एक स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है।

6.3 जिन व्यक्तियों को गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसके आधार पर रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है वह या तो खाद्य सुरक्षा में पात्रता ही ।हीं रखते थे या उस वार्ड के निवासी नहीं थे।

6.4 प्रथम बिन्दु शिकायतकर्ता रामस्वरूप आर्य एक आदतन शिकायती है जिसके शिकायत पर रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है, के संबंध में जहॉ रसद अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.5.2018 में यह अंकित किया गया है कि उक्त व्यक्ति आदतन शिकायती है। किन्तु इससे यह सिद्ध नही होता है कि यह उक्त व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है वह सत्य या असत्य है। अतः इस इस बिन्दु का निर्धारण अपीलांट के विरूद्ध किया जाता है।

6.5 द्वितीय एवं तृतीय बिन्दु जो इस प्रकार है कि बिना जांच व सुनवाई का अवसर दिये कार्यवाही की गई है, एवं एक स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है, एवं जिन व्यक्तियों को गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसके आधार पर रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है वह या तो खाद्य सुरक्षा में पात्रता ही नहीं रखते थे या उस वार्ड के निवासी नहीं थे।

इस संबंध में जिला रसद अधिकारी की नोटशीट के निम्न नोटिंग्स महत्वपूर्ण है:

"पत्रावली पेश हुई। उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित है। जवाब नोटिस पेश किया गया। वास्ते साक्ष्य सुनवाई दिनांक 9.2.2017 को पेश हो।" (29.12.2016)

"पत्रावली पेश हुई। उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित है। वास्ते सुनवाई दिनांक 1.3.2017 को पेश हो।" (9.2.2017).

"पत्रावली पेश हुई। उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित है। वास्ते सुनवाई दिनांक 17.01.2019 को पेश हो।" (20.12.2018)

"पत्रावली पेश हुई। उचित मूल्य दुकानदार अनुपस्थित है। वास्ते सुनवाई दिनांक 28.2.2019 को पेश हो।" (17.01.2019)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

.....निरन्तर 5 पर

"पत्रावली पेश हुई। उचित मूल्य दुकानदार अनुपस्थित है। वास्ते सुनवाई दिनांक 12.4.2019 को पेश हो।" (28.2.2019)

"पत्रावली पेश हुई। उचित मूल्य दुकानदार अनुपस्थित रहा। डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब को पढा गया। डीलर द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के कारण डीलर की जमाशुदा समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।" (12.4.2019)

इसके पश्चात आदेश दिनांक 12.4.2019 को यह आदेश पारित किया गया है कि ग्राम पंचायत गुढा कटला तहसीद बसवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितता करने के कारण समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है।

6.6 हम इस बात से सहमत नहीं है कि यह आदेश प्रार्थी को सुने बिना पारित किया गया है क्योंकि अपीलांट दिनांक 29.12.2016 एवं 9.2.2017 को उपस्थित था एवं उसके बाद वह आगामी तारीख पेशी की जानकारी रखते हुए स्वयं स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा है।

6.7 हमारे समक्ष प्रार्थी का उसके उपर आरोपित का जवाब भी दिनांक को प्रस्तुत किया है जिसमें उसके द्वारा यह जवाब प्रेषित किये गये थे कि वह पोस मशीन से जारी पर्ची उपभोक्ताओं को देता है और जिस दिन उसकी जांच की गई उस दिन उसकी मशीन में पर्ची निकालकर जांच कर्ता को दी थी। कालूराम सैनी उसके वार्ड का निवासी नहीं है एवं अन्य डीलर के अंतर्गत आता हैं, मुकेश कुमार जांगिड का गेहूँ माह मई, 2016 से सितम्बर, 2016 तक खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित नहीं था। माह अक्टूबर की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है।

6.8 हम यह देखते हैं कि रसद अधिकारी द्वारा ना ही अपने आदेश में एवं ना ही नोटशीट पर प्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब पर मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब पर जिला रसद अधिकारी द्वारा ना ही अपने आदेश मे उन बिन्दुओं का खंडन किया है ना ही इस अपील में उन बिन्दुओं का खंडन करने में सफल रहे है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.4.2019 निरस्त किया जाकर यह आदेश पारित किये जाते है कि :–

7.1 अपीलांट 07 दिवस में जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।

7.2 जिला रसद अधिकारी इसके 10 दिवस पश्चात अपीलांट के अभ्यावेदन एवं उनके समक्ष पत्रावली में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/जवाब के प्रत्येक बिन्दु पर तर्कसंगत निर्णय लेते हुए एक स्पीकिंग आदेश पारित करेंगे। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के

.....निरन्तर 6 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested

अपील सं0 8/2022 रसद

साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested